संख्या-10/2018/178/38-6-18-01एवीआरवाई/2018

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- **(/kujkf'k yk[k :i; e)**

d0l0	y[kk'kh"kd ,o en dk uke	ikfo/kkfur /kujkf'k
1	2515&vU; xkEk fodkl dk;de] 102& lkenkf;d fodkl	
	09&xkEk fodkl ctV ,o vuJo.k idk"B	
	01&oru	35-00
	02&etnjh	2-00
	03&egxkb HkRrk	3-50
	04&;k=k 0;;	0-20
	06&vU; HkRr	3-50
	07&ekun;	0-10
	08&dk;ky; 0;;	1-00
	13&VfyQku ij 0;;	0-10
	15&xkfM;k dk vuj{k.k vkj iVky vkfn dh [kjhn	0-50
	16&0;kolkf;d rFkk fo'k"k lokvk d fy, Hkxrku	0-01
	42&vU; 0;;	0-20
	45&vodk'k ;k=k 0;;	0-02
	47&dEI;Vj vuj{k.k@rRlc/kh LV'kujh dk 0;;	0-50
	49&fpfdRlk 0;;	3-00
	dy ;kx	**49-63 ¼:i; mUpkl yk[k frjlB gtkj ek=½**

http://upmandesh.up.nic.in

2- उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(1)- उपर्युक्त दर्शायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के स्तर पर किया जाएगा। अत: इस धनराशि के संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आहरण वितरण अधिकार दिया जाता है।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाये। अनुपयोगित धनराशि वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाए।

(3)- प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-2 में दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाए।

(4)- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-01-वेतन-02-मजदूरी-03-महंगाई भत्ता-05-यात्रा व्यय-06-अन्य भत्ते-07-मानदेय-08-कार्यालय व्यय-13-टेलिफोन पर व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-42-अन्य व्यय-45-अवकाश यात्रा व्यय-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय-49-चिकित्सा व्यय" के नामे प्रस्तर-1 की तालिका के अनुसार डाला जाएगा।

(5)- इस संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह

अनु सचिव।

संख्या-10/2018/178(1)/38-6-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अनुभाग अधिकारी, लेखा/सहायक लेखाकार, लेखा कोष्ठक, ग्राम्य विकास विभाग।
7- आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास, सचिव शाखा।
8- विशेष कार्याधिकारी एवं निदेशक, ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
9- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभाग-2/3, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in